 ISSN 2395-051X

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

डॉ. एम. एम. चौकसे

प्राध्यापक वाणिज्य

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

सारांश -

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का शुभारंभ 25 सितम्बर 2014 में किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को सरकार द्वारा स्किल देने के बाद निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर के वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना का मकसद ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को उनकी योग्यता तथा रूचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराना है तथा ग्रामीण क्षेत्र से पलायन को रोकना है।

मुख्य शब्द - पलायन, कौशल्य योजना, रोजगार, ग्रामीण विकास

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत 5.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने और उसके बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। इसकी संरचना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अभियान ''मेक इन इंडिया'' के लिये एक प्रमुख योगदान कर्ता के रूप में की गई है।

उद्देश्य - देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 15 से 35 साल के युवाओं की कुशलता विकसित कर उन्हें रोजगार के लायक बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, कुशलता विकसित होने और उसके बाद रोजगार के मौके पाने से ग्रामीण के युवाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तथा ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आयेगी।

योजना के उद्देश्य -

- रोजगार के अवसर के बारे में ग्रामीण समुदाय के भीतर जागरूकता बढ़ाना।
- गरीब ग्रामीण युवाओं की पहचान।
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर ढूढनें वाले ग्रामीण युवाओं को जुटाना।
- योग्यता के आधार पर कुशलता विकसित करने के लिए युवाओं का चयन।
- रोजगार के अवसर के हिसाब से ज्ञान, उद्योग से जुड़े कौशल और विजन उपलब्ध कराना।
- ऐसी नौकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करना जिनका सत्यापन स्वतंत्र तरीके से किया जा सके

ताकि युवाओं को न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा भुगतान मिल सके।

- युवाओं और माता पिता की काउंसिलिंग ।
- नियुक्ति के बाद कार्यरत व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करने में सहायता।

योजना के लाभ -

- योजना में ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को अलग-अलग किस्म के कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत जारी होने वाले प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य किये जायेंगे जायेंगें।
- इस योजना में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाभ मिल सके इसके लिए अलग-अलग राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्र बनाये गये हैं।
- दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत 200 से ज्यादा अलग-अलग कामों को शामिल किया है जिसमें अपनी-अपनी रूचि के हिसाब से ट्रेनिंग लेकर युवा उसमें निपुण हो सकें।

योजना का कवरेज - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना पूरे भारत देश के लिए लागू है। यह योजना वर्तमान में देश के 33 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के 610 जिलों में 202 से अधिक पी.आई.ए. के साथ साझेदारी में 50 से अधिक क्षेत्रों में एवं 250 से अधिक व्यापार क्षेत्रों में लागू की गई है।

योजना के लिये कार्यान्वयन प्रतिरूप :-

यह योजना त्रिस्तरीय कार्यान्वयन प्रतिरूप है। नीति निर्धारण तकनीकी सहायता और सरलीकरण एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय यूनिट ग्रामीण विकास मंत्रालय में कार्य करती है। राज्य मिशन कार्यान्वयन का समर्थन प्रदान करते हैं। और परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसियों, स्किलिंग और प्लेसमेंट परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करती है।

इस योजना में बाजार की मांग के समाधान के लिए नियोजन से जुड़ी स्किलिंग परियोजनाओं के लिये 25,696 रूपये से लेकर 1 लाख रूपये प्रति व्यक्ति तक की वित्तीय सहायता प्रदाय की जाती है जो परियोजना की अवधि और परियोजना की आवासीय या गैर आवासीय होने पर निर्भर करता है। योजना के अंतर्गत 576 घंटे (3 महीने) से लेकर 2304 (12 महीने) तक के प्रशिक्षण अवधि की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना में 250 से अधिक व्यापार क्षेत्रों जैसे खुदरा, आतिथ्य सत्कार क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र मोटर वाहन निर्माण विघुत पाइप लाइन निर्माण रत्न और आभूषण आदि को अनुदान प्रदाय किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण मार्ग आधारित होना चाहिए और इसमें 75 प्रतिशत प्रशिक्षुओं की नियुक्ति होनी चाहिए।

ISSN 2395-051X

दीनदयाल योजना के प्रारंभ से कार्य प्रगति को तालिका क्रमांक 1 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 1

विषय	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रशिक्षित	236471	349155	142380	241439	246857	34938
प्लेस्ड	109512	109512	63619	137251	150085	49528
मूल्यांकन	-	244631	124717	197628	160460	16060
प्रमाणित	-	172251	102300	156754	127701	11870
केन्द्र	-	654	726	1196	1220	1703
व्यापार	-	325	381	433	433	502

स्रोत-ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट भारत सरकार 2020-21

इस योजना में 2020-21 तक राज्यवार संचयी लाभार्थी को तालिका क्रमांक 02 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 2

क्र.	राज्य का नाम	प्रशिक्षित लाभार्थी	मूल्यांकित लाभार्थी	प्लेस्ड लाभार्थी
1	आन्ध्रप्रदेश	79705	66475	69837
2	अरूणाचल प्रदेश	112	99	93
3	असम	52397	37682	29659
4	बिहार	52919	46912	24343
5	छत्तीसगढ़	35182	24609	15868
6	गुजरात	18786	13437	9436
7	हरियाणा	30987	24990	16764
8	हिमाचल प्रदेश	5130	4131	1477
9	जम्मू काश्मीर	85194	78804	60792
10	झारखंड	43882	29735	18486
11	कर्नाटक	43519	32023	24650
12	केरल	56360	42985	32750
13	मध्यप्रदेश	52052	35068	18492
14	महाराष्ट्र	44751	32328	26878
15	मणीपुर	2673	1627	1049
16	मेधालय	2438	1687	1154
17	मिजोरम	761	745	461
18	नागालेड	1742	1347	681
19	उड़ीसा	183438	179848	136463
20	पंजाव	13071	10509	5515
21	राजस्थान	64621	42970	28189
22	सिकिक्म	501	91	139
23	तमिलनाडु	34013	24992	44764

ISSN 2393-051X

24	तेलंगाना	53115	32101	38255
25	त्रिपुरा	6903	5697	3215
26	उत्तर प्रदेश	125266	56117	31293
27	उत्तराखंड	3030	2574	1449
28	पश्चिम बंगाल	25765	19533	14124
कुल योग		1118313	849116	626276

भारत सरकार ने मार्च 2023 के अंत तक 2685763 युवाओं को प्रशिक्षित करने व रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा है। निश्चित ही यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करने व रोजगार दिलवाने में मील का पत्थर साबित होगी।

संदर्भ -

1. भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट 2020-21
2. economictimes.indiatimes.com
3. https://pmmodiyojana.in
4. WWW.jagran josh